

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक: प.8(10) आयो.-1/2019

जयपुर, दिनांक: 05 APR 2019

आदेश

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालना में राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के अधीन सेवाओं और पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित करने हेतु श्री संतोष कुमार मारू, सहायक शासन सचिव, आयोजना विभाग को तुरन्त प्रभाव से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, उपमुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय/मूल्यांकन संगठन निदेशालय/आयोजना जनशक्ति निदेशालय, जयपुर को कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 की प्रति संलग्न कर लेख है कि कार्मिक विभाग के उक्त आदेश के क्रम में नोडल अधिकारी नियुक्त करवाकर आयोजना विभाग को भी अवगत करावें।
6. श्री संतोष कुमार मारू, सहायक शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर डालने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव